रजिस्टर्ड नं० पी०/एस० एम० 14.

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

(असाधारण)

हिमाचल प्रदेश राज्यशासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, शनिवार, 3 अक्तूबर, 1981/12 आश्विन, 1903

हिमाचल प्रदेश सरकार

विधि विभाग

अधिसूचना

शिमला-171002, 1 अक्तूबर, 1981

क्रमांक एल०एल०आर० (डी) (16)-28/81.—हिमाचल प्रदेश वन उपज (व्यापार विनियमन) अध्यादेश, 1981 (1981 का अध्यादेश संख्यांक 6) जैसा राज्यपाल महोदय, हिमाचल प्रदेश, द्वारा "भारत के संविधान" के अनुच्छेद 213 के खण्ड (1) के अन्तर्गत

दिनांक 1 अक्तूबर, 1981 को प्रख्यापित किया गया, को संविधान के अनुच्छेद 348 (3) में अपेक्षित अंग्रेजी प्राधिकृत पाठ सहित एतद्द्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिए राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, में प्रकाशित किया जाता है।

वेद प्रकाश भटनागर,
सचिव ।

1981 का अध्यादेश संख्यांक 6.

हिमाचल प्रदेश वन उपज (व्यापार विनियमन) अध्यादेश, 1981

भारत गणराज्य के बत्तीसवें वर्ष में राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित ।

कतिपय वन उपज के व्यापार को लोकहित में, ऐसे व्यापार में राज्य के पूर्ण नियन्त्रण को सृजित करके, विनियमित करने हेतु उपबन्ध करने के लिए अध्यादेश ।

जबकि हिमाचल प्रदेश विधानसभा सत्र में नहीं है और राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश इस बात से सन्तुष्ट हैं कि ऐसी परिस्थितियां विद्यमान हैं जिनके कारण तुरन्त कार्रवाई करना आवश्यक हो गया है,

अतः अब भारतीय संविधान के अनुच्छेद 213 के खण्ड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने हेतु राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश सहर्ष निम्नलिखित अध्यादेश प्रख्यापित करते हैं :—

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ ।

1. (1) यह अध्यादेश हिमाचल प्रदेश वन उपज (व्यापार विनियमन) अध्यादेश, 1981 कहा जा सकता है ।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण हिमाचल प्रदेश पर है ।

(3) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा ।

परिभाषाएं ।

2. (1) इस अध्यादेश में, जब तक कि सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो ।

(क) "अभिकर्ता" से, धारा 3 के अधीन नियुक्त अभिकर्ता अभिप्रेत है,

(ख) "समिति" से धारा 6 की उप-धारा (1) के अधीन गठित सलाहकार समिति, अभिप्रेत है,

(ग) "मण्डल" से, राज्य सरकार के विशेष अथवा सामान्य आदेश द्वारा तत्समय गठित, अथवा समय समय पर सीमांकित, क्षेत्रीय वन मण्डल अभिप्रेत है,

(घ) "वन" से, इस अध्यादेश से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट खड़े, गिराए गए, अथवा अन्यथा आकार में लाए गए किसी भी जाति के वृक्ष और सभी जातियों के बांस, और समय समय पर, राज्य सरकार द्वारा शासकीय राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना द्वारा ऐसी घोषित कोई अन्य उपज अभिप्रेत है,

(ङ) "स्वामी" से राज्य सरकार के अतिरिक्त, हिमाचल प्रदेश भू-राजस्व अधिनियम 1954 के अधीन राजस्व अभिलेख में दर्ज भूमि के स्वामित्व के कारण अथवा किसी अन्य विधि प्राधिकरण द्वारा किसी वन उपज को अपने स्वामित्व अथवा कब्ज में रखने के लिए प्राधिकृत, कोई व्यक्ति अभिप्रेत है,

(च) "क्रय" से, इसकी समस्त व्याकरणिता विभिन्नता और सहार्थी पदों सहित, नकद या आस्थगित अदायगी अथवा अन्य मूल्यवान प्रतिफल हेतु, वन उपज का अर्जन अभिप्रेत है,

स्पष्टीकरण: इस बात के होते हुए भी कि विक्रेता क्रय धन की प्रतिभूति हेतु वन उपज का अधिमान रखता है, वन उपज का किस्तों में अदायगी पर क्रय भी क्रय समझा जायगा ।

(छ) "विक्रय" से इसकी समस्त व्याकरणिक विभिन्नता और सहार्थी पदों सहित, एक व्यक्ति द्वारा अन्य व्यक्ति को नकद या आस्थगित अदायगी या अन्य मूल्यवान प्रतिफल हेतु वन उपज का हस्तांतरण अभिप्रेत है और इसमें वन उपज का अबक्रय या किश्तों द्वारा अदायगी करने की अन्य प्रणाली सम्मिलित है ।

(2) ऐसे अन्य सब शब्दों और पदों के, जो इस में प्रयुक्त हैं किन्तु अध्यादेश में प्रभाषित नहीं है वे ही अर्थ होंगे जो इस राज्य में यथा प्रवृत्त भारतीय वन अधिनियम, 1927 में उनके हैं । 1927 का 16

अभिकर्ताओं की नियुक्ति ।

3. राज्य सरकार, वन उपज का क्रय और इसकी ओर से व्यापार करने हेतु, ऐसी शर्तों पर जैसी कि सरकार द्वारा समय समय पर निर्धारित की जायें, सभी या किसी विनिर्दिष्ट वन उपज के लिए विभिन्न वन मण्डलों के सम्बन्ध में, एक या अधिक अभिकर्ता नियुक्त कर सकती है ।

विक्रय क्रय और परिवहन का निबन्धन ।

4. इस अध्यादेश के प्रारम्भ होने पर ।

(क) वन उपज का कोई भी स्वामी, राज्य सरकार या धारा 3 के अधीन नियुक्त अभिकर्ता से अन्य किसी को भी वन उपज का विक्रय नहीं करेगा,

(ख) प्राधिकृत अधिकारी या धारा 3 के अधीन नियुक्त अभिकर्ता के माध्यम से राज्य सरकार से अन्य कोई भी व्यक्ति किसी भी स्वामी से वन उपज का क्रय नहीं करेगा, और

(ग) कोई भी व्यक्ति, भारतीय वन अधिनयिम, 1927 की धारा 41 व 42 और राज्य सरकार द्वारा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित ऐसी रीति और ऐसी शर्तों के अध्याधीन ऐसे प्राधिकारी द्वारा इस निमित जारी किए गए अनुज्ञा-पत्र के बिना, वन उपज का मण्डल के भीतर या किसी बाहरी स्थान में परिवहन नहीं करेगा । 1927 का 16

राज्य सरकार विक्रय हेतु प्रस्तुत समस्त वन उपज का क्रय करेगी ।

5. धारा 8 के उपबन्धों के अध्याधीन, प्राधिकृत अधिकारी अथवा धारा 3 के अधीन नियुक्त अधिकारी के माध्यम से राज्य सरकार ऐसे स्थानों या परिसरों में जो राज्य सरकार के प्राधिकृत अधिकारी अथवा अभिकर्ता द्वारा विनिर्दिष्ट किए जायें व्यापार के सामान्य समय में स्वामी द्वारा प्रस्तुत समस्त वन उपज का धारा 7 के अधीन निश्चित मूल्य पर क्रय किया जाएगा ।

(2) उप-धारा (1) में किसी बात के होते हुए भी, जहां मण्डल के भारसाधक अधिकारी के पास ऐसा विश्वास करने का कारण है कि विक्रय हेतु प्रस्तुत कोई वन उपज राज्य सरकार की है तो बिना मूल्य की अदायगी के ऐसी वन उपज विनियोजित की जा सकती है।

सलाहकार समिति का गठन।

6. (1) राज्य सरकार प्रत्येक मण्डल के लिए जिसमें वन उपज उगाई या पाई जाती है, एक सलाहकार समिति गठित करेगी जिसके राज्य सरकार द्वारा नाम निर्देशित 5 से अनधिक सदस्य होंगे।

(2) प्रत्येक ऐसे मण्डल की सलाहकार समिति राज्य सरकार को समय समय पर उचित और युक्तियुक्त कीमत निर्धारित करने के लिए, जिस पर उस मण्डल में विक्रय के लिए प्रस्तुत वन उपज राज्य सरकार द्वारा या उसकी ओर से क्रय किया जा सके, सलाह देगी और ऐसे अन्य विषयों पर भी सलाह देगी जो उसे राज्य सरकार द्वारा निर्दिष्ट किए जायें।

(3) समिति का कार्य विहित रीति से संचालित किया जायेगा।

समिति के परामर्श से सरकार द्वारा कीमतें नियत करना।

7. धारा 6 के अधीन गठित समिति से परामर्श करने के उपरांत, राज्य सरकार उन कीमतों को जिस पर वन उपज के स्वामी से विभिन्न स्थानों पर उस द्वारा या उस के किसी प्राधिकृत अधिकारी या अभिकर्ता द्वारा वन उपज का क्रय किया जायेगा, नियत करेगी और उनको शासकीय राजपत्र या ऐसी अन्य रीति में जैसी विहित की जायें, प्रकाशित करेगी। ऐसी नियत की गई कीमतें प्रत्येक वित्तीय वर्ष के समापन तक लागू रहेंगी और उस वित्तीय वर्ष के दौरान परिवर्तित नहीं की जायेगी :

परन्तु यदि समिति वित्तीय वर्ष से अनुवर्ती 15 फरवरी तक सलाह देने में असफल रहती है तो राज्य सरकार समिति के परामर्श के बिना ही कीमतें नियत कर सकती है :

परन्तु यह और कि समिति के गठन तक राज्य सरकार अपने प्राधिकृत अधिकारी या अभिकर्ता के माध्यम से बिक्री पक्षकारों में पारस्परिक रूप से सहमत कीमत पर वन उपज क्रय कर सकती है।

राज्य सरकार या अभिकर्ता द्वारा वन उपज का कार्यक्रमानुसार क्रम करना।

1978 का 28

8. स्वामी से हिमाचल प्रदेश भू-संरक्षण अधिनियम, 1978 के अधीन बनाये गए कटान कार्यक्रम के अनुसार विक्रय हेतु स्वामी द्वारा प्रस्तुत वन उपज का धारा 7 के अधीन नियत की गई कीमतों पर प्राधिकृत अधिकारी या अभिकर्ता, क्रय करेगा।

1978 का 28

(2) राज्य सरकार प्राधिकृत अधिकारी या अभिकर्ता के माध्यम से उस स्वामी को, जिसकी वन उपज, हिमाचल प्रदेश भू-संरक्षण अधिनियम, 1978 के अधीन कटान कार्यक्रम के अन्तर्गत आती है, ऐसी अग्रिम राशियां ऐसे निबन्धनों एवं शर्तों पर जो कि विहित की जाएं, दे सकती है।

वन उपज का व्ययन।

9. राज्य सरकार द्वारा क्रय की गई वन उपज अपने प्राधिकृत अधिकारी या अभिकर्ता के माध्यम से वन उपज ऐसी रीति में, जिसका राज्य सरकार निर्देश दे बेच दी जायेगी या उसका अन्यथा व्ययन कर दिया जायेगा।

शक्तियों का प्रत्यायोजन।

10. राज्य सरकार विशेष अथवा सामान्य नियम आदेश द्वारा इस अध्यादेश या तद्धीन बनाये गए नियमों के अधीन धारा 17 के अधीन नियम बनाने की शक्ति के सिवाये अपनी शक्तियों या कृत्यों में से कोई भी शक्ति या कृत्य सहायक अरण्यपाल से अनिम्न पद के किसी भी अधिकारी को प्रत्यायोजित कर सकेगी, जो ऐसी शर्तों और निर्बन्धनों, यदि कोई हों, के अध्याधीन रहते हुए जैसा कि राज्य सरकार आदेश में विनिर्दिष्ट करे, प्रयोग में लायेगा अथवा उसका पालन करेगा।

प्रवेश, तलाशी, अभिग्रहण आदि की शक्ति।

11. (1) वन रेंजर से अनिम्न पद का कोई भी वन अधिकारी अथवा उप-निरीक्षक से अनिम्न पद का कोई भी पुलिस अधिकारी अथवा इस निमित्त राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत कोई अन्य व्यक्ति, इस अध्यादेश या तद्धीन बनाये गए नियमों के उपबन्धों के अनुपालन को सुनिश्चित करने की दृष्टि से या स्वयं का यह समाधान करने की दृष्टि से कि उक्त उपबन्धों का अनुपालन किया गया है,

(एक) वन उपज के लिए उपयोग में लाए गए या उपयोग में लाए जाने के लिए आशयित किसी व्यक्ति, नाव, वाहन या पात्र को रोक सकेगा और उसकी तलाशी ले सकेगा,

(दो) किसी स्थान में प्रवेश कर सकेगा और उसकी तलाशी ले सकेगा, और

(तीन) उस वन उपज का, जिसके सम्बन्ध में उसे यह संदेह हो कि, इस अध्यादेश या तद्धीन बनाये गए नियमों को किसी उपबन्ध का उल्लंघन किया गया है, किया जा रहा है या किया जाने वाला है, उस पात्र सहित, जिसमें कि ऐसी उपज रखी हो या ऐसी उपज को ले जाने के लिए उपयोग में लाए गए पशु वाहन अथवा नाव सहित अभिग्रहण कर सकेगा।

(2) तलाशी और अभिग्रहण के सम्बन्ध में दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 100 के उपबन्ध जहां तक हो सके, इस धारा के अधीन तलाशी तथा अभिग्रहण को लागू होंगे। 1974 का 2

शास्ति।

12. कोई व्यक्ति जो इस अध्यादेश या तद्धीन बनाए गए नियमों के उपबन्धों में से किसी भी उपबन्ध का उल्लंघन करेगा तो वह—

(क) कारावास से, जो कि एक वर्ष तक का हो सकेगा, या जुर्माने से जो कि पांच हजार रुपए तक का हो सकेगा, या दोनों से, दण्डनीय होगा, और

(ख) उस वन उपज का, जिसके सम्बन्ध में उल्लंघन किया गया हो, सरकार के पक्ष में समपहरण कर लिया जाएगा।

प्रयत्न एवं दुष्प्रेरण।

13. किसी भी ऐसे व्यक्ति के सम्बन्ध में जो कि इस अध्यादेश या तद्धीन बनाये गए नियमों के किसी उपबन्ध का उल्लंघन करने का प्रयत्न करे या उसके उल्लंघन को दुष्प्रेरित करे, यह समझा जायेगा कि उसने ऐसे उपबन्धों का उल्लंघन किया है।

14. वन मण्डलाधिकारी के पद से अनिम्न के किसी वन अधिकारी द्वारा या किसी अन्य अधिकारी द्वारा, जो कि इस निमित राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत कर दिया जाए, उन तथ्यों के सम्बन्ध में जिनसे कि अपराध बनता हो, की गई लिखित रिपोर्ट के बिना कोई न्यायालय इस अध्यादेश के अधीन दण्डनीय किसी अपराध का संज्ञान नहीं करेगा। अपराधों का संज्ञान।

15. राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा वन मण्डलाधिकारी के पद से अनिम्न के किसी भी वन अधिकारी को इस बात के लिए सशक्त कर सकेगी कि वह,— अपराधों का प्रशमन

(क) किसी ऐसे व्यक्ति से, जिसके विरुद्ध यह युक्तियुक्त संदेह विद्यमान है कि उसने इस अध्यादेश के अधीन दण्डनीय अपराध किया है, उस अपराध के लिए जिसके उस व्यक्ति द्वारा किए जाने का सन्देह हो, अभियोजन के स्थान पर प्रति कर के रूप में धन की राशि प्रतिग्रहीत कर लें, और

(ख) जब वन उपज से भिन्न कोई सम्पति अधिहरणीय होने के नाते अभिग्रहीत की गई हो, उसके ऐसे मूल्य के संदाय पर नियुक्त कर दे जो कि ऐसे अधिकारी द्वारा निर्धारित किया गया हो।

(2) ऐसे अधिकारी को, यथास्थिति, प्रतिकर, या ऐसे मूल्य या दोनों का संदाय करने पर संदिग्ध व्यक्ति उन्मोचित कर दिया जायेगा, कोई सम्पत्ति, यदि कोई हो, जो कि अभिग्रहत की गई हो के निर्युक्त कर दी जायेगी और ऐसे व्यक्ति या सम्पति के विरूद्ध कोई और कार्यवाही नहीं की जायेगी।

(3) उप-धारा (1) के खण्ड (क) के अधीन प्रतिकर के रूप मे प्रतिग्रहीत धन राशि किसी भी दशा में पांच सौ रुपये से कम और दो हज़ार रुपये से अधिक नहीं होगी।

(4) इसमें किसी भी मामले का प्रशमन करने हेतु, सक्षम प्राधिकारी द्वारा कथित मामले में अन्तर्ग्रस्त वन उपज को सरकार को समपहरित किए बिना प्रशमन नहीं किया जाएगा।

16. (1) किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध, किसी भी ऐसी बात के लिए जो इस अध्यादेश या उसके अधीन बनाये गए नियमों के अनुसरण में सद्भावपूर्वक की गई हो, या जिसका इस प्रकार किया जाना आशयित रहा हो, कोई भी वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही प्रस्तुत नहीं होगी। सदभावपू किये गा कार्यों सम्बन्ध व्यवृति

(2) राज्य सरकार के विरुद्ध इस अध्यादेश के उपबन्धों के आधार पर या किसी भी ऐसी बात के द्वारा जो इस अध्यादेश या उसके अधीन बनाये गए नियमों के अनुसरण में सदभावपूर्वक की गई हो या जिसका ऐसा किया जाना आशयित रहा हो, पहुंचाए गए या संभाव्यतः पहुंचाए जाने वाले किसी नुकसान अथवा उठाई गई या सम्भाव्यतः उठाई जाने वाली किसी क्षति के लिए कोई वाद या अन्य विधिक कार्यवाही प्रस्तुत नहीं होगी।

राज्य सरकार

17. (1) पूर्व प्रकाशन की शर्तों के अध्याधीन रहते हुए इस अध्यादेश के उपबन्धों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकेगी है या निदेश जारी कर सकेगी। नियम बना की शक्ति

(2) विशिष्टतः और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसे नियम में निम्नलिखित या किन्हीं भी विषयों के लिए उपबन्ध हो सकेंगे अर्थात्:—

(क) धारा 3 के अधीन अभिकर्ताओं की नियुक्ति सम्बन्धी निबन्धन, तथा प्रक्रिया,

(ख) धारा 6 (3) के अधीन सलाहकार समिति के कार्य संचालन की रीति,

(ग) धारा 7 के अधीन वन उपज की मूल्य-सूची का प्रकाशन,

(घ) धारा 8 (2) के अधीन अग्रिमों के संदाय को नियंत्रित करने हेतु निबन्धन एवं शर्तें,

(ङ) रीति जिसमें धारा 9 का व्ययन किया जाएगा,

(च) धारा 19 (1) के अधीन निबन्धन एवं शर्तें जिनके अध्यधीन रहते हुये और रीति जिसमें अनुज्ञा-पत्र प्रदान किया जा सकता है, प्रदत्त किया जाएगा,

(छ) कोई अन्य विषय जो विहित किया जाना है या विहित किया जा सकता हो।

(3) इस अध्यादेश के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम बनाये जाने के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र, विधान सभा के समक्ष उस समय, जब वह सत्र में हो, जो कुल मिलाकर कम से कम दस दिनों की कालावधि, जो उसके एक सत्र या दो या इससे अधिक अनुक्रमिक सत्रों में समाविष्ट हो सकती है के लिए रखा जाएगा। और यदि, इस सत्र के जिसमें वह ऐसे रखा गया हो या उक्त सत्रों के अवसान के पूर्व, विधान सभा नियम में कोई उपान्तरण करती है या फैसला करती है कि नियम नहीं बनाया जाना चाहिए तो तत्पश्चात्, यथास्थिति वह नियम ऐसे उपान्तरित रूप में ही प्रभावी होगा या उसका कोई प्रभाव नहीं होगा, किन्तु इस प्रकार का ऐसा कोई उपान्तरण या बातिलकरण उस नियम के अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना होगा।

अध्यादेश के प्रवर्तन से किसी वन उपज को समाविष्ट या अपवर्जित करने की शक्ति।

18. राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा समय समय पर वन उपज की किसी जाति को इस अध्यादेश के प्रवर्तनार्थ समाविष्ट या अपवर्जित कर सकती है।

संक्रमण कालीन उपबन्ध।

19. (1) धारा 4 में अन्तर्विष्ट किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी राज्य सरकार या इस का प्राधिकृत अधिकारी ऐसे निबन्धनों एवं शर्तों पर और ऐसी रीति में, जैसी विहित की जाए किसी भी व्यक्ति को जिसने आगे बिक्री के प्रयोजन हेतु निकाली गई वन उपज खरीदी है या वन उपज निकाली है या इस अध्यादेश के प्रारम्भ होने से पूर्व इसके निकालने के लिए सीमांकन और चिह्नित करने के आदेश प्राप्त किए हैं, ऐसी वन उपज को गिराने, परिवर्तित करने, परिवहन और राज्य सरकार या प्राधिकृत अधिकारी या अभिकर्ता से भिन्न किसी व्यक्ति को बेचने की अनुज्ञा दे सकता है और किसी व्यक्ति को इसे राज्य सरकार या

इसके प्राधिकृत अधिकारी या अभिकर्ता से भिन्न किसी व्यक्ति से खरीदने या परिवहन करने की अनुज्ञा दे सकता है। इस प्रकार से दी गई अनुमति 30 नवम्बर, 1982 के पश्चात् व्यपगत हो जाएगी ।

(2) जहां अध्यादेश के लागू होने से पूर्व किसी समय किसी व्यक्ति ने किसी व्यापारी से वन उपज के विक्रय के लिए कोई संविदा कर ली थी और उस संविदा के अधीन व्यापारी को दिए जाने के लिए वन उपज की कीमत का कोई अग्रिम ऐसे व्यापारी से प्राप्त कर लिया हो तो इस बात के होते हुए भी, कि धारा 4 के उपबन्धों के कारण वह संविदा अध्यादेश के लागू होने पर शून्य हो जाएगी, उक्त व्यक्ति और व्यापारी ऐसे अग्रिम का ब्यौरा देते हुए एक संयुक्त आवेदन-पत्र वन मण्डलाधिकारी/अथवा इस निमित उस द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी अथवा अभिकर्ता को दे सकेंगे तथा तदोपरान्त उक्त अधिकारी इस मत का यथाविधि समाधान हो जाने पर कि लेन देन ठीक है राज्य सरकार के अधिकारी अथवा अभिकर्ता को यह निदेश दे सकते हैं कि उक्त व्यक्ति की ओर से उस व्यापारी को उक्त अग्रिम के बराबर धन (उक्त व्यक्ति के द्वारा उस व्यापारी को पहले ही भुगतान की गई धनराशि को कम कर के) किसी ब्याज या प्रतिकर के बिना धारा 5 के अधीन विक्रय की गई वन उपज के लिए उक्त व्यक्ति को देय कीमत में दिया जाए और ऐसे भुगतान की सीमा तक राज्य सरकार या अभिकर्ता का उस व्यक्ति के प्रति और उक्त व्यक्ति का व्यापारी के प्रति दायित्व उन्मुक्त हो जाएगा और उक्त व्यक्ति का कोई दायित्व उस अग्रिम के सम्बन्ध में कोई ब्याज या प्रतिकर देने के लिए नहीं होगा। ऐसे दावे 30 नवम्बर, 1982 के उपरान्त व्यपगत हो जायेंगे।

ए0 एन0 बैनर्जी,
राज्यपाल,
हिमाचल प्रदेश ।

शिमला:
दिनांक 1 अक्तूबर, 1981

वेद प्रकाश भटनागर,
सचिव (विधि)।

अनुसूची

[धारा 2 (घ) देखें]

1. बर्ड चेरी (परनस कौरनेटा)
2. चील (पाइनस रौकसबर्गिल)
3. देवदार (सीडरस देवदार)
4. फर (अबिस पिंडरोओ)
5. हौर्न बीम (खिड़की) (कारपाईनस स्पीपी)
6. हौर्स चैस्टनट (एसकुलस इंडिका)
7. कैल (पाइनस बालीचियाना)
8. खैर (अकेसिया केटचू)
9. मेपल (एसर स्पीपी)
10. सेन (टरमीनिलिया टोमेंटोसा)
11. साल (शोरिया रोबुसता)
12. शीशम (दलबैरागिया सीसो)
13. सपरूस (पीसिया सिमथियाना)
14. अखरोट (जुगलांस रिगीआ)
15. ऐश (फरक्सीनस एसपीपी)
16. बिलो (सैलिक्स एसपीपी)
17. मलबरी (मौरुस एलबा)

[AUTHORISED ENGLISH TEXT OF THE HIMACHAL PRADESH VANUPAJ (BEOPAR VINIYAMAN) ADHYADESH, 1981 AS REQUIRED UNDER ARTICLE 348 (3) OF THE CONSTITUTION OF INDIA]

Ordinance No. 6 of 1981.

THE HIMACHAL PRADESH FOREST PRODUCE (REGULATION OF TRADE) ORDINANCE, 1981

Promulgated by the Governor in the Thirty-second Year of the Republic of India.

An Ordinance to make provision for regulating in the public interest the trade of certain forest produce by creation of full State control in such trade.

Whereas the Legislative Assembly of Himachal Pradesh is not in session and the Governor is satisfied that circumstances exist which render it necessary for him to take immediate action;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (1) of Article 213 of the Constitution of India, the Governor, Himachal Pradesh, is pleased to promulgate the following Ordinance:—

Short title and commencement.

1. (1) This Ordinance may be called the Himachal Pradesh Forest Produce (Regulation of Trade) Ordinance, 1981.

(2) It extends to the whole of the Himachal Pradesh.

(3) It shall come into force at once.

Definitions.

2. (1) In this Ordinance, unless the context otherwise requires,—

(*a*) "agent" means an agent appointed under section 3;

(*b*) "committee" means an Advisory Committee constituted under sub-section (1) of section 6;

(*c*) "division" means a territorial Forest Division as for the time being constituted or may be delimited, from time to time, by special or general order of the State Government;

(*d*) "forest produce" means trees of any of the species standing, felled or otherwise fashioned, specified in the Schedule annexed to this Ordinance and bamboos of all species, and any other produce declared as such by the State Government from time to time by a notification published in the Official Gazette;

(*e*) "owner" means any person other than State Government authorised by virtue of ownership of land as per entries in revenue records prepared under the Himachal Pradesh Land Revenue Act, 1954 or by any other authority of law to own or to have in his possession the forest produce;

6 of 1954

(*f*) "purchase" with all its grammatical variations and cognate expressions means the acquisition of forest produce for cash or deferred payment or for other valuable consideration;

Explanation.—Purchase of forest produce on instalment system of payment shall, notwithstanding that the seller retains a title to forest produce

as security for payment of the purchase money, be deemed to be a purchase; and

(*g*) "sale" with all its grammatical variations and cognate expressions means any transfer of forest produce by one person to another for cash or for deferred payment or for other valuable consideration and includes a transfer of forest produce on hire-purchase or other system of payment by instalment.

(2) All other words and expressions used herein, but not defined in the Ordinance shall have the meanings assigned to them in the Indian Forest Act, 1927, as applied to this State. 16 of 1927

Appointment of agents.

3. The State Government may, for the purchase of, and trade in, forest produce on its behalf appoint one or more agents in respect of different divisions for all or any specified forest produce on such terms and conditions as may be laid by the Government from time to time.

Restriction on sale, purchase and transportation.

4. On the commencement of this Ordinance:—

(*a*) no owner of forest produce shall effect sale of any forest produce to a person other than the State Government or the agent appointed under section 3;

(*b*) no person other than the State Government through its authorised officer or agent appointed under section 3 shall purchase forest produce from any owner; and

(*c*) no person shall transport forest produce to any place within or outside the division, without a permit issued in that behalf by such authority, in such manner and subject to such terms and conditions as are prescribed under sections 41 and 42 of the Indian Forest Act, 1927 and the rules made thereunder by the State Government. 16 of 1927

State Govt. to purchase all forest produce offered for sale.

5. (1) Subject to the provisions of section 8, the State Government through its authorised officer or agent appointed under section 3 shall purchase at the price fixed under section 7 all forest produce offered for sale by the owner during the normal hours of business at such places or premises as may be specified by the State Government through its authorised officer or its agent.

(2) Notwithstanding anything contained in sub-section (1), where the officer-in-charge of the division has reason to believe that any forest produce offered for sale belongs to the State Government, such forest produce may be appropriated without payment of price.

Constitution of Advisory Committee.

6. (1) The State Government shall, from time to time, constitute for each division in which forest produce is grown or found, an Advisory Committee which shall consist of not more than 5 members nominated by the State Government.

(2) The Advisory Committee for each such division shall advise the State Government in the matter of fixation from time to time of a fair and reasonable price at which forest produce offered for sale may be purchased by or on behalf of the State Government in that division and also on such other matters as may be referred to it by the State Government.

(3) The business of the Committee shall be conducted in such manner as may be prescribed.

Government to fix price in consultation with the Committee.

7. The State Government shall, after consultation with the Committee constituted under section 6, fix the price at which forest produce shall be purchased at various places by it or by any of its authorised officer or agent from the owner of the forest produce and shall publish the same in the Official Gazette or in such other manner as may be prescribed. The price so fixed shall remain in force upto the end of each financial year and shall not be altered during that financial year:

Provided that if the Committee fails to tender advice by the 15th of February preceding the financial year, the State Government may proceed to fix the price without consultation of the Committee:

Provided further that the State Government through its authorised officer or agent may purchase the forest produce till the constitution of the Committees at a price mutually agreed upon between the parties to the sale.

State Government or agent to purchase forest produce as per programme.

8. (1) The authorised officer or an agent shall purchase from the owner the forest produce offered for sale according to the felling programme, as may be formulated under the Himachal Pradesh Land Preservation Act, 1978 at the price fixed under section 7.

28 of 1978

(2) The State Government through its authorised officer or the agent may make such advances of money on such terms and conditions as may be prescribed to the owners whose forest produce is covered by the felling programme under the Himachal Pradesh Land Preservation Act, 1978.

28 of 1978

Disposal of forest produce.

9. Forest produce purchased by the State Government through its authorised officer or agent shall be sold or otherwise disposed of in such manner as the State Government may direct.

Delegation of powers.

10. The State Government may, by special or general order, delegate any of its powers or functions under this Ordinance or the rules made thereunder, except the power to make rules under section 17, to any officer not below the rank of the Assistant Conservator of Forests, who shall exercise or perform the same, subject to such conditions and restrictions, if any, as the State Government may specify in the order.

Powers of entry, search, seizure etc.

11. (1) Any Forest Officer not below the rank of the Forest Ranger or any Police Officer not below the rank of Sub-Inspector or any other person authorised by the State Government in this behalf may, with a view to securing compliance with the provisions of this Ordinance or the rules made thereunder or to satisfying himself that the said provisions have been complied with,—

(*i*) stop and search any person, boat, vehicle or receptacle used or intended to be used for the transport of forest produce;

(*ii*) enter and search any place; and

(*iii*) seize the forest produce in respect of which he suspects that any provision of this Ordinance or the rules made thereunder has been, is being, or is about to be contravened along with receptacle containing such produce, as well as the animals, the vehicles or boats used in carrying such produce.

(2) The provisions of section 100 of the Code of Criminal Procedure, 1973 relating to search and seizure shall, so far as may be, apply to searches and seizures under this section.

2 of 1974

Penalty

12. Any person contravening any of the provisions of this Ordinance or the rules made thereunder—

(*a*) shall be punishable with imprisonment which may extend to one year or with fine which may extend to five thousand rupees or with both; and

(*b*) the forest produce in respect of which such contravention has been made shall be forfeited to the Government.

Attempts and abetment.

13. Any person who attempts to contravene or abets the contravention of any provision of this Ordinance or the rules made thereunder shall be deemed to have contravened such provision.

Cognizance of offences.

14. No court shall take cognizance of any offence punishable under this Ordinance except on a report in writing of the facts constituting such offence made by any Forest Officer not below the rank of Divisional Forest Officer or any other officer as may be authorised by the State Government in this behalf.

Compounding of offences.

15. (1) The State Government may, by notification, empower a Forest Officer not inferior in rank to that of a Divisional Forest Officer—

(*a*) to accept from any person against whom a reasonable suspicion exists that he had committed an offence punishable under this Ordinance, a sum of money by way of compensation in lieu of prosecution for the offence which such person is suspected to have committed; and

(*b*) when any property other than forest produce has been seized as liable to confiscation, to release the same on payment of the value thereof as may be determined by such officer.

(2) On the payment of such compensation or such value, or both, as the case may be, to such officer, the suspected person shall be discharged, the property, if any, seized shall be released, and no further proceedings shall be taken against such person or property.

(3) The sum of money accepted as compensation under clause (*a*) of sub-section (1) shall in no case be less than rupees five hundred and exceed rupees two thousand.

(4) No case hereunder shall be compounded by any authority competent to compoundwithout providing for the forfeiture of the forest produce involved in the said case to the Government.

Savings in respect of acts done in good faith

16. (1) No suit, prosecution or other legal proceedings shall lie against any person for anything which is in good faith done or intended to be so done in pursuance of this Ordinance or the rules made thereunder.

(2) No suit or other legal proceedings shall lie against the State Government for any damage caused or likely to be caused or any injury suffered or likely to be suffered by virtue of the provisions of this Ordinance or by anything which is in good faith done or intended to be so done in pursuance of this Ordinance or the rules made thereunder.

Powers to make rules.

17. (1) The State Government may, subject to the conditions of previous publication, make rules or issue directions to carry out the provisions of this Ordinance.

(2) In particular, and without prejudice to the generality of the foregoing power, such rules may provide for all or any of the following matters, namely:—

(*a*) the terms and conditions and the procedure for appointment of agents under section 3;
(*b*) the manner of the conduct of business of the Advisory Committee under section 6 (3);
(*c*) the publication of the price list of the forest produce under section 7;
(*d*) the terms and conditions governing the payments of advances under section 8 (2);
(*e*) the manner in which the forest produce shall be disposed of under section 9;
(*f*) the terms and conditions subject to which, and the manner in which, the permit may be granted under section 19 (1); and
(*g*) any other matter which is to be or may be prescribed.

(3) Every rule made under this Ordinance shall be laid, as soon as may be after it is made, before the Legislative Assembly while it is in session, for a total period of not less than ten days, which may be comprised in one session or in two or more successive sessions, and if before the expiry of the session in which it is so laid or the sessions aforesaid, the Assembly makes any modification in the rule or decides that the rule should not be made, the rule shall thereafter have effect only in such modified form or be of no effect, as the case may be, so, however, that any such modification or annulment shall be without prejudice to the validity of anything previously done under that rule.

Power to add or exclude any forest produce from the operation of the Ordinance.

18. The State Government may, by notification, from time to time, add or exclude any species of forest produce covered by this Ordinance.

Transitory provision.

19. (1) Notwithstanding anything to the contrary contained in section 4, the State Government or its authorised officer may, on such terms and conditions and in such manner as be prescribed, permit any person who had purchased the extracted forest produce for the purpose of further sale or had extracted forest produce or had obtained the orders of demarcation and marking for its extraction before the commencement of this Ordinance, to fell, convert, transport and sell such forest produce to any person other than the State Government, or an authorised officer or agent and permit any person other than the State Government or its authorised officer or agent to purchase and transport the same. The permission so accorded shall lapse after the 30th November, 1982.

(2) Where at any time before the commencement of this Ordinance, any person had entered into any contract for the sale of forest produce to any trader and obtained an advance from such trader towards the price of

the forest produce accepted to be delivered to the trader under such contract, then notwithstanding that by virtue of the provisions of section 4, such contract shall have become void on the commencement of the Ordinance, the said person and trader may make a joint application before the Divisional Forest Officer or an officer authorised by him or the agent, in that behalf, giving particulars of such advance and thereupon the said officer, on being duly satisfied that the transaction is genuine one, may direct the officer of the State Government or the agent to pay on behalf of the said person to such trader a sum equivalent to the said advance (less the amount already repaid by the said person to such trader) without any interest or compensation out of the price due to the said person for the forest produce sold under section 5, and the liability of the State Government or the agent to the said person and of the said person to the trader shall, to the extent of such payment, stand discharged and the said person shall not be liable to pay any interest or compensation in respect of such advance. Such claims shall lapse after the 30th November, 1982.

A. N. BANERJI,
Governor.

SIMLA :
The 1st October, 1981.

V. P. BHATNAGAR,
Secretary (Law).

SCHEDULE

[*See* section 2(*d*)]

1. Bird-cherry (Prunus cornata)
2. Chil (Pinus roxburgii)
3. Deodar (Cedrus deodara)
4. Fir (Abies pindrow)
5. Horn beam (Khirkee) (Carpinus Spp.)
6. Horsechest nut (Aesculus indica)
7. Kail (Pinus wallichiana)
8. Khair (Acacia catechu)
9. Maple (Acer Spp.)
10. Sain (Terminalia tomentosa)
11. Sal (Shorea robusta)
12. Shisham (Dalbergia sisso)
13. Spruce (Picea symthiana)
14. Walnut (Juglan regia)
15. Ash (Fraxinus)
16. Willow (Salix)
17. Mulberry (Morus Alba).

नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-3 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित ।